संख्या39/2017/514/26-32017

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 30मार्च, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष में निष्प्रयोज्य किये गये विभागीय वाहन संख्या-यू0पी0-32 ए0एच0 5000 के स्थान पर नये वाहन क्रय हेतु बचतों के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1863/स0क0/नजारत/वाहरन/2016-17 दिनांक-22.02.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक-''2225-01-001-03 के मानक मद-44'प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय' में बजट प्राविधान **रूपया-10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र)** के सापेक्ष सम्भावित बचतो से लेखाशीर्षक-2225-01-001-03 के मानक मद-14-'मोटर गाड़ियों का क्रय' के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से **धनराशि रू0-0.606 लाख (रू0 साठ हजार छः सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं।

2 उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय अधिष्ठान-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-39/2017/514/(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

4- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।

5- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

वित्तीय वर्ष 2016-17

अनुदान संख्या-80- समाज कल्याण

(रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्षक-15 डिजिटल कोड में (आयोजनेत्तर)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक-15 डिजिट में (आयोजनेत्तर)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225-01-001-03-00 2225-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर 01-अनुसूचित जातियो का कल्याण 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-मुख्यालय अधिष्ठान						2225-01-001-03-00 2225- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर 01- अनुसूचित जातियो का कल्याण 001- निदेशन तथा प्रशासन 03-मुख्यालय अधिष्ठान					
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.000	10.000	0.606	0.606	9.394	14-मोटर गाड़ियो का क्रय	7.000	7.606	0.606	0.606	7.606
योग	10.000	10.000	0.606	0.606	9.394		7.000	7.606	0.606	0.606	7.606

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

संख्या-आर0ई0-748 /ई-3-266/दस-2017 दिनांक-30 मार्च, 2017

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(राम सुमेर)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

पृ0संख्या- 39 /2017/514 /(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

http://shasanades

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।